

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक ई-11/नरिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/जोधपुर/जे-552/2019/ दिनांक

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक नरिंग/नर्स 2(सीधी भर्ती-2013)/2017/214 दिनांक 31.03.2017, 240 दिनांक 17.04.2017 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिबीक्षाकाल सतोपजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इनके परिबीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिकस लेवल एल 11 में न्यूनतम वेतन 37800/ एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थान स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिबीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिबीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	राजेंद्र परिहार	जोधपुर	17.10.75	02.05.17	01.05.2019	02.05.2019
2	नंकीसा बानो	जोधपुर	09.07.74	19.04.17	18.04.2019	19.04.2019

/

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक ई-11/नरिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/जोधपुर/जे-552/2019/ 711

दिनांक 02/09/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रायुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर।
2. अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि शारदा चौधरी नर्स द्वितीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिवरी के सबंध में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ओसिया द्वारा उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच प्रत्याहरित करने हेतु अवगत कराया है परन्तु उनके विरुद्ध सीरीए 16 में कार्यवाही विचाराधीन है जिसके सबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश पत्रावली।

/

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर।